न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

ा नम्बर 81 / 2024 दायर दिनांक–06.06.2024

1. मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड नगर ब्यावर जरिये अधिकृत नवीन परिहार पुत्र श्री त्रिलोकेश्वर परिहार जाति सैन वरिष्ठ अधिकारी विधि विभाग निवासी श्री सीमेंट लिमिटेड ग्राम गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

–वादी

1. करणीराम पुत्र किशना जाति जाट निवासी देवगाव तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री चंद्रकांत शर्मा

वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत

स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–24.01.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम चौढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 1.1700 है0, खसरा नम्बर 388, 389, 390, 392,393, 394, 395, 396, 397, 628, 629 कुल किता 11 कुल रकबा 4.7300 है0 भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नही करने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रर्दश 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नही है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में भूमि के किसी हिस्से पर निर्माण आदि नही करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। [illegible] की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 1.1700 है0, खसरा नम्बर 388, 389 [illegible] 394, 395, 396, 397, 628, 629 कुल किता 11 कुल रकबा 4.7300 [illegible] का नि[illegible] नही करने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया [illegible]। खर्चा पक्षकारान [illegible] दनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमा[illegible] बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 24.01.2[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:38:10 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:–81 / 2024 **(श्री सीमेंट बनाम करणीराम आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 24.01.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम चौढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 1.1700 है0, खसरा नम्बर 388, 389, 390, 392,393, 394, 395, 396, 397, 628, 629 कुल किता 11 कुल रकबा 4.7300 है0 भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नही करने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.01.2025 को जारी की गई।

ए.सी.ई. (फा.ट्रे.) नवलगढ

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:38:10 IST
Reason: SelfAttested